न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार
<u>कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)</u>
सू.का.अधि. अपील प्र.क्र.52/2017–18

श्री नवनीत कुमार अग्रवाल वार्ड क.10 नया बाराद्वार तहसील सक्ती
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) .... अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) ....उत्तरवादी

आदेश
(आज दिनांक 12.07.2018 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी श्री नवनीत कुमार अग्रवाल वार्ड क.10 नया बाराद्वार तहसील सक्ती जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रारंभ किया गया।

अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा के समक्ष दिनांक 16.04.2018 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा के आदेश कमांक 3233 दिनांक 26.02.2018 एवं 2913 दिनांक 22.02.2018 की समस्त नस्ती की सत्यापित प्रति की मांग किया गया था। नहीं दिये जाने पर इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत अपील आवेदन के संबंध में जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जांजगीर –चांपा (छ.ग.) को ज्ञापन क्रमांक 9178/अपील/सू.का.अ./2018/जांजगीर, दिनांक 13.06.2018 को पत्र प्रेषित कर जानकारी/जबाव मांगी गई एवं अपीलार्थी को पृष्ठांकन पत्र क्रमांक 9179/अपील/सू.का.अ./2018 जांजगीर, दिनांक 13.06.2018 के द्वारा सुनवाई तिथि 25.06.2018 को उपस्थित होने हेतु सूचना दी गई।

जन सूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा के द्वारा प्रेषित ज्ञापन कमांक 9301/सू.का.अधि./2018 जांजगीर, दिनांक 14.06.2018 द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर कार्यालय के प्रभारी अधिकारी भू–अर्जन शाखा से जानकारी प्राप्त। जानकारी 1 प्रति मे होने पर आवेदक को जानकारी प्राप्ति हेतु 2/– रूपये का चालान शुल्क जमाकर जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु अवगत कराये जाने उपरांत उनके द्वारा जानकारी प्राप्ति के लिए 10/–रूपये का चालान शुल्क जमा कर कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा चाही गई जानकारी जावक शाखा के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है कि जानकारी दी गई है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा जन सूचना अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा के समक्ष दिनांक 16.04.2018 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर–चांपा के आदेश कमांक 3233 दिनांक 26.02.2018 एवं 2913 दिनांक 22.02.2018 की समस्त नस्ती की सत्यापित प्रति की मांग किया गया था। नहीं दिये जाने पर इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 9301/सू.का.अ./2018 जांजगीर, दिनांक 14.06.2018 अनुसार आवेदक/अपीलार्थी द्वारा

चाही गई जानकारी जावक शाखा के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है, अपने ज्ञापन पत्र में उल्लेख किया गया है। जन सूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा द्वारा प्रेषित ज्ञापन के साथ नोटशीट, जन सूचना अधिकारी जिला जांजगीर–चांपा को प्रेषित पत्र एवं आदेश की छायाप्रति संलग्न कर इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है। जन सूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा द्वारा जानकारी अपीलार्थी को जावक शाखा के माध्यम से प्रेषित किया जाना लेख किया गया है, किन्तु अपीलार्थी के नाम से संबोधित प्रेषित जानकारी की प्रति संलग्न नहीं किया जाना पाया गया। इस प्रकार जानकारी अपीलार्थी को प्रेषित ही नहीं किया गया है। अस्तु अपीलार्थी का अपील आवेदन स्वीकार करते हुए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी 15 दिवस के भीतर निःशुल्क उपलब्ध करावे।

12.7.18

(डी.के.सिंह)
अपर कलेक्टर
एवं अपीलीय अधिकारी
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा,छ.ग.

पृ.क्र./1623/अपील/सू.का.अधि/2018 जांजगीर, दिनांक 16/7/2018

प्रतिलिपि :–

1. जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र एनआईसी जांजगीर जिला जांजगीर–चांपा की ओर आदेश की प्रति अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।
3. श्री नवनीत कुमार अग्रवाल वार्ड कमांक 10 नया बाराद्वार तहसील सक्ती जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.) को सूचनार्थ।

(28)

(डी.के.सिंह)
अपर कलेक्टर
एवं अपीलीय अधिकारी
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)